

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

करण संख्या 115/2022

तारीख दायर : 05.05.2022

अनयान

1. रामलाल पिता मगना भील जाति भील उम्र व्यसक निवासी गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0 प्रार्थी

बनाम

01. रमेश पिता दुर्गा बंजारा जाति बंजारा उम्र व्यसक निवासी आटी, चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
02. मदन पिता नाथु बंजारा जाति बंजारा उम्र व्यसक निवासी आटी, चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
03. मनोज पिता जयसिंह जाति बंजारा उम्र व्यसक निवासी आटी, चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
04. भारमल पिता मांगु बंजारा जाति बंजारा उम्र व्यसक निवासी आटी, चम्पापुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0 विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0एक्ट

- : आदेश : -

दिनांक 5 / 5 / 2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी रामलाल पिता मगना भील जाति भील उम्र व्यसक निवासी गुढा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0 ने जरिये अभिभाषक श्री सुनील जोशी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम आंटी पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियां में आराजी नं0 693/427 कुला किता 1 रकबा 0.2833 हैक्टेयर भूमि में स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074- 2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम आंटी पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियां में आराजी नं0 693/427 कुला किता 1 रकबा 0.2833 हैक्टेयर भूमि की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे। भू0अ0नि0 बिजौलियां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस 500/- रुपये वक्त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि -भीलवाडा